उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन)
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांक 3210/यू.पी.रेरा/सा0सू0/2021–22 दिनांकः 25 मार्च, 2022

सार्वजनिक सूचना

उ.प्र. रेरा द्वारा लखनऊ में अंसल ए.पी.आई. की सुशांत गोल्फ सिटी में अंसल या एफ.एस.आई. खरीदने वाले विकासकर्ताओं की नयी परियोजनाओं के पंजीकरण पर रोक।

- उ.प्र. रेरा की 84वीं बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2022 में लखनऊ में अंसल ए.पी.आई. की हाई–टेक टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी में अंसल ए.पी.आई. या एफ.एस.आई. खरीदने वाले विकासकर्ताओं की नयी परियोजनाओं का अब आगे पंजीकरण नही करने का निर्णय लिया गया।
- उ.प्र. रेरा द्वारा यह निर्णय इस परिदृश्य में लिया गया कि रेरा द्वारा अंसल ए.पी.आई. के आवंटियों द्वारा योजित शिकायतों के आधार पर 1886 आवंटियों के निवेश की धनराशि वापस करने के आदेश पारित किए गए हैं और प्रोमोटर अंसल ए.पी.आई. द्वारा रिफण्ड के इन आदेशों के बावजूद आवंटियों की धनराशि वापस न करने के परिणाम स्वरूप 567 वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जिनमें लगभग 100 करोड़ रूपये की देयता है। प्रोमोटर द्वारा आवंटियों की धनराशि वापस नहीं की गयी है। प्रोमोटर द्वारा आवंटियों की धनराशि वापस न करने के कारण अब भी लगातार वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।
- वसूली प्रमाण पत्रों में निहित मांग की वसूली अंसल ए.पी.आई. की प्रश्नगत परियोजना की परिसम्पत्तियों की नीलामी के साथ–साथ कम्पनी की अन्य परिसम्पत्तियों की नीलामी से की जा सकती है और यदि अंसल ए.पी.आई. द्वारा अपनी रिक्त परिसम्पत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है, तो आवंटियों को देय धनराशि की वसूली कदाचित सम्भव नहीं होगी और उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। कम्पनी द्वारा एफ.एस.आई. के विक्रय के माध्यम से अपनी परिसम्पत्तियों को अलग–अलग किए जाने से पीड़ित आवंटियों की निवेश की पूंजी डूबने का संकट उत्पन्न हो सकता है।
- उ.प्र. रेरा द्वारा अपनी 53वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि जब तक अंसल ए.पी.आई. द्वारा उसके आदेशों का पर्याप्त अनुपालन नहीं कर लिया जाता, तब तक इस कम्पनी की नयी परियोजनाओं का पंजीकरण सम्भव नहीं होगा। यदि किसी इच्छुक होम बायर द्वारा अंसल ए.पी. आई. की ऐसी परियोजना, जो रेरा में पंजीकृत नहीं है, में निवेश किया जाता है तो उनका निवेश जोखिम भरा होगा और यदि किसी विकासकर्ता द्वारा नवीन परियोजना विकसित करने के लिए अंसल ए.पी.आई. से एफ.एस.आई. क्रय किया जाता है, तो उनका निवेश भी जोखिम भरा होगा।
- अतः समस्त जन सामान्य को एतदद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अंसल ए.पी. आई. की प्रस्तावित परियोजना या उनसे एफ.एस.आई. क्रय करने वाले प्रोमोटर्स की प्रस्तावित परियोजनाओं में निवेश न किया जाए। इसी प्रकार एफ.एस.आई. क्रय करने वाले इच्छुक विकासकर्ताओं को एतदद्वारा सूचित और सतर्क किया जाता है कि उनके द्वारा नवीन परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से अंसल ए.पी.आई. से एफ.एस.आई. न क्रय की जाए।
- उ.प्र. रेरा द्वारा यह निर्णय रेरा अधिनियम के अन्तर्गत जन सामान्य तथा विकासकर्ताओं के आर्थिक हितों के संरक्षण के उद्देश्य से लिया गया है।

सचिव।